मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 08.04.2015 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। यह भी बताया गया कि मुख्यत: सेवान्त लाभ, पेंशन एवं प्रोन्नति से संबंधित मामले लम्बित रहने के कारण ही मामला न्यायालय में जाता है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

2. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा इस विषय पर चर्चा किया गया कि न्यायालयों में संवेदनशील मामलों में भी प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु प्राय: Dy. Secy. स्तर के पदाधिकारी जा रहे है जबकि विभागों के प्रधान सचिव मुख्यालय में उपस्थित रहते है। इस विषय पर माननीय न्यायालय के द्वारा आपत्ति जतायी गयी है। अत: इस मामले में सचिव/विभागाध्यक्ष/सचिव के स्तर से मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जाए।

3. बैठक में सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव के द्वारा इस विषय पर चर्चा किया गया कि विभागों में लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु यदि प्रधान सचिव के स्तर से प्रतिशपथ-पत्र दायर करने की प्रक्रिया किया जायेगा तो अवधि का अधिकांश समय इसी कार्य में व्यतीत हो जायेगा। इस संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विधि विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि प्रतिशपथ-पत्र दायर कराने के लिए ओथ कमिश्नर को सचिवालय परिसर में ही बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही किया जाए ताकि इस कार्य में हो रहे परेशानी से बचा जा सके।

4. मुख्य सचिव, बिहार द्वारा CWJC के मामले में पाँच अच्छा प्रदर्शन करने वाले विभागों पर भी चर्चा किया गया। इनमें खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, समाज कल्याण विभाग, एवं शिक्षा विभाग एवं पाँच असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभाग जिनमें स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आदि शामिल है।

5. स्वास्थ्य विभाग के Supreme Court में 76 SLP के मामले में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु लंबित है। मुख्य सचिव द्वारा इस विषय पर निर्देश दिया गया है कि इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

6. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निर्देश दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय में सरकारी अधिवक्ताओं का एक पैनल बनाया जाए ताकि संबंधित विभाग अपने सुविधा के अनुसार वकील नियुक्त कर सकें।

7. बैठक में बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के संबंध में चर्चा किया गया। इस संबंध में सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के प्रभावीपूर्ण क्रियान्वयन कराये जाने का निर्देश दिया गया। विभागीय शिकायत निवारण समिति में विभागीय स्तर पर शिकायतों का निपटारा कराये जाने का निर्देश दिया गया साथ ही विभागों को निर्देश दिया गया है कि बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के तहत गठित विभागीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्राप्त आवेदन/आवेदनों पर की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक आवश्य उपलब्ध करायेंगे।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

19/4

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

<u>विधि विभाग</u>

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/.....जे0 पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/2671.....जे0 पटना, दिनांक-20-04-15

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।